संख्या: 3/2016/ 179/61-2016.

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2016.

विषय: जिला निर्वाचन कार्यालयों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति हेतु सृजित अधिसंख्य पदों की निरन्तरता स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-276/61-2015 दिनांक 07-04-2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्न विवरण के अनुसार सृजित अधिसंख्य पदों की निरन्तरता दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त पद तब तक चलते रहेगें जब तक कोई रिक्ति उस संवर्ग में उपलब्ध न हो जाये। रिक्ति उपलब्ध होने पर पद धारक को तत्काल उस रिक्ति में समायोजित कर लिया जायेगा और अधिसंख्य पद स्वत: समाप्त हो जायेगा। ये पद इससे पूर्व भी किसी समय समाप्त किये जा सकते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान रूपये	पदों की संख्या	जिला निर्वाचन कार्यालय	पद सृजन के शासनादेश की संख्या व दिनांक	अन्तिम बार निर्गत निरन्तरता के शासनादेश की संख्या व दिनांक
1.	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	एक	बहराइच	460/61-2006-52/2005, दिनांक 15.05.2006	276/61-2015, दिनांक 07-4-2015
2.	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	एक	मथुरा	371/61-2006-52/2005, दिनांक 15.05.2006	-तदैव-

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पद के पदधारक को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2015-निर्वाचन-आयोजनेतर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय" के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: ए-2-2574/दस-90-24(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

संख्या: 3/2016/ 179(1)/61-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -12
(3) जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच/मथुरा।
(4) कोषाधिकारी, बहराइच/मथुरा।
(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।